## उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

**(पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग)**

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

**सा. का. नि. 123.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, वर्ग 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसेअधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में ज्येष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय शिलांग, ज्येष्ठ सचिवालय सहायक (वर्ग 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचि के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि –**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूचि के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता :** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| ज्येष्ठ सचिवालय सहायक | 17* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग'(अराजपत्रित) अनुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100)/- | अचयन पद |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं |
|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा । |
|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) |
| लागू नहीं होता | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा | **प्रोन्नति ।**<br>(1) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200/- रु. ) में ऐसे कनिष्ठ सचिवालय सहायक के समूह 'ग' पद के पदाधिकारियों में से जिन्होंने उस पद में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो ।<br>**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हैं, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।<br>प्रतिनियुक्ति ।<br>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारियों में से :<br>I. जो मूल काडर या विभाग मे नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या<br>II. जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 /- रु.) या समतुल्य में कनिष्ठ सचिवालय |

| | | |
|---|---|---|
| | | सहायक के पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है ।<br><br>**टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।<br><br>**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया **तीन** वर्ष से अधिक नहीं होगी ।<br><br>**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को **56** वर्ष से अधिक नहीं होगी । |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना । | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे –**<br>1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग - अध्यक्ष,<br>2. अवर सचिव, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, नई दिल्ली - सदस्य, और<br>3. सहायक सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग - सदस्य । | लागू नहीं होता । |

[फा. सं. NEC-17/33/2021-O/o US (NEC)]

अंजना, अवर सचिव

## MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

**(North Eastern Council Secretariat Shillong)**

New Delhi, the 27th July, 2022

**G.S.R. 123.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Secretariat Assistant in the Ministry of Development of North Eastern Region, North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :-

**1**. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Senior Secretariat Assistant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** **Number of post, classification and level in pay matrix.-** The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

**6. Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| **Name of post** | **Number of post** | **Classification** | **Level in the pay matrix** |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Senior Secretariat Assistant. | 17* (2022)<br><br>* Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted), Ministerial | Level-4 (Rs. 25500 - 81100/-). |

| Whether selection post or non-selection post. | Age-limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes. |
|---|---|---|---|
| (5) | (6) | (7) | (8) |
| Non-selection post | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Period of probation, if any | Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made. |
|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) |
| Not applicable. | By promotion failing which by deputation | **Promotion** :<br>(i) From amongst officials in the Group 'C' post of Junior Secretariat Assistant who have rendered eight years of regular service in the post in level 2 (Rs. 19900 – 63200/-) in the matrix.<br>**Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Deputation :**<br>Officers under the Central Government or State Government or Union territory Administration:<br><br>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or<br><br>(ii) with eight years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post of Junior Secretariat Assistant in level 2 (Rs. 19900 – 63200/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department.<br><br>**Note1:** The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br><br>**Note 2**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br><br>**Note 3**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fiftysix years as on the closing date of the receipt of applications. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :**<br><br>1. Director or Deputy Secretary (Administration), North Eastern Council Secretariat, Shillong -Chairman<br><br>**2.** Under Secretary, Ministry of Development of North Eastern Region, New Delhi and Member; and<br><br>3. Assistant Secretary, North Eastern Council Secretariat, Shillong **–** Member**.** | Not applicable. |

[F. No. NEC-17/33/2021-O/o US (NEC)]

ANJANA, Under Secy.